

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief not of
26/11/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत।</p> <p>212 का यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2008 से प्रक्रियाधीन है। मूल वाद दिनांक 11.1.17 को खारिज किया जा चुका है जिस संबंध में वादीगण द्वारा रेस्टोरेशन का प्र.प. दाखर किया गया था जोकि प्रक्रियाधीन है। अपितु मूल वाद खारिज होने से, धारा 212 कारतकारी अधिनियम राजस्थान, 1955 का यह प्रार्थना पत्र बिना मूलवाद के अस्तित्व के, पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त 1994 RRD 576, <i>Gordhan Singh vs Moseti Mandir Shri Chaturbhuj Naraji and 1997 RRD 178 Mela Bus vs Nahu</i> के अनुसार, "Where plaintiff is not the aggrieved person under the Rajasthan Tenancy Act, this section [212 RT Act 1955] has no application." अतः प्रार्थी का राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कोई वाद ही लंबित / विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी का प्र.प. अंतर्गत धारा 212 राज. कारतकारी अधिनियम 1955 का पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी रेस्टोरेशन के प्र.प. पर निर्णय पश्चात् निर्णय अनुरूप प्र.प. धारा 212 RT Act का आवश्यकता-</p>	

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of th
	<p>गुरुप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रा. प. एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार ही, नम्बर लै कस लै कमिल कफार लै। HA.</p> <p>सहायक कलक्टर (FI), जोधपुर</p>	

